Anusanadhan: A Multidisciplinary International Journal (In Hindi)
Volume 11, Issue 1&2 - 2026, Pg. No. 12-22
Peer Reviewed Journal

Research Article

मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक क़ानून के प्रति जागरूकता एवं धारणा: राजस्थान आधारित अध्ययन

रईसा बानो [1], स्नेहलता[2]
[1]अनुसंधानार्थी, [2]अनुसंधान पर्यवेक्षक, राजनीति विज्ञान विभाग, लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत

DOI:https://doi.org/ 10.24321/2395.2288.202602

I N F O

Corresponding Author:
रईसा बानो, राजनीति विज्ञान विभाग, लॉर्ड्स विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान, भारत|
E-mail Id:
raisajms2911@gmail.com
Orcid Id:
https://orcid.org/0009-0001-6965-6409
How to cite this article:
रईसा बानो, स्नेहलता, मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक क़ानून के प्रति जागरूकता एवं धारणा: राजस्थान आधारित अध्ययन, Anu: a, Mul, Int, Jour, 2026;11(1&2): 12-22.

Date of Submission: 2025-10-28
Date of Acceptance: 2026-01-12

A B S T R A C T

भारत में व्यक्तिगत कानूनों और लैंगिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर पिछले कुछ वर्षों में व्यापक बहस उभरी है, जिनमें तीन तलाक का प्रश्न सबसे अधिक चर्चित रहा। कानूनी सुधारों के बावजूद समुदाय की जागरूकता और धारणा को समझना अभी भी सामाजिक अध्ययन का महत्वपूर्ण पहलू है। यह अध्ययन राजस्थान के मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक क़ानून के प्रति जागरूकता के स्तर और उससे जुड़ी सामाजिक धारणाओं का विश्लेषण करता है। वर्ष 2019 में पारित मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम ने तीन तलाक की प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करते हुए मुस्लिम महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य निर्धारित किया। यद्यपि यह कानूनी परिवर्तन महत्त्वपूर्ण है, इसकी वास्तविक समझ और स्वीकार्यता सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, शिक्षा स्तर और धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार भिन्न हो सकती है। इसी संदर्भ में इस शोध में राजस्थान के तीन प्रमुख जिलों—जोधपुर, जयपुर और सीकर—को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धतियों का प्रयोग किया गया। शोध हेतु प्राथमिक आँकड़े एक सुव्यवस्थित प्रश्नावली के माध्यम से संकलित किए गए। कुल 282 उत्तरदाताओं से जानकारी प्राप्त की गई, जिनमें जोधपुर से 68, जयपुर से 114 तथा सीकर से 100 प्रतिभागी शामिल थे। इन उत्तरदाताओं में पुरुषों और महिलाओं दोनों की सहभागिता सुनिश्चित की गई, ताकि समुदाय के विविध दृष्टिकोणों को संपूर्णता से समझा जा सके। चूँकि अध्ययन मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक क़ानून के प्रति जागरूकता एवं धारणा पर केंद्रित था, इसलिए उत्तरदाताओं का चयन राजस्थान के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों से किया गया। प्रश्नावली में सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक तथा विधिक पहलुओं से संबंधित प्रश्न शामिल किए गए थे, जिससे यह जाना जा सके कि तीन तलाक क़ानून के प्रति लोगों की वास्तविक जानकारी, अनुभव, दृष्टिकोण और व्यवहारिक समझ किस प्रकार निर्मित होती है।

मुख्य शब्द: तीन तलाक, कानूनी जागरूकता, सामाजिक धारणा, मुस्लिम समुदाय, राजस्थान आधारित अध्ययन।

Copyright (c) 2026: Author(s). Published by Advanced Research Publications

प्रस्तावना

भारत के सामाजिक एवं वैवाहिक ढाँचे में व्यक्तिगत कानूनों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। विभिन्न धर्मों के लिए अलग-अलग विवाह और तलाक संबंधी प्रावधान ऐतिहासिक परिस्थितियों, धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर विकसित हुए। मुस्लिम वैवाहिक कानूनों में 'तलाक' एक स्वीकृत प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य पति–पत्नी के बीच उत्पन्न असहनीय मतभेदों की स्थिति में वैवाहिक बंधन को समाप्त करना है। किंतु समय के साथ तलाक की विभिन्न विधियों में से 'तलाक-ए-बिदअत' या प्रचलित शब्दों में 'तीन तलाक' सबसे अधिक विवादित रूप में उभरा। तलाक-ए-बिदअत में पति एक ही बार में तीन बार "तलाक" कहकर तत्क्षण विवाह विच्छेद कर सकता था। यह प्रथा न तो न्यायसंगत मानी जाती थी, न ही महिलाओं के अधिकारों और गरिमा के अनुरूप। अनेक धार्मिक विद्वानों ने भी इसे इस्लामी सिद्धांतों की मूल भावना—न्याय, परामर्श और पारिवारिक संरक्षण—के विपरीत माना है।

तीन तलाक की यह परंपरा लंबे समय से मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों, सुरक्षा और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती रही। तलाक-ए-बिदअत की त्वरित और अपरिवर्तनीय प्रकृति के कारण अनेक महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। परिणामस्वरूप, यह विषय राष्ट्रीय स्तर पर बहस और न्यायिक हस्तक्षेप का केंद्र बना। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस प्रथा को असंवैधानिक घोषित किया गया और 2019 में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम लागू किया गया, जिसने तीन तलाक को दंडनीय अपराध का स्वरूप दे दिया। यह विधिक परिवर्तन न केवल लैंगिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों और सम्मान को संरक्षित करने की मजबूत पहल भी सिद्ध हुआ। हालाँकि, किसी भी कानूनी सुधार की सफलता केवल उसके पारित होने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि समुदाय में उसकी जागरूकता, समझ, और स्वीकार्यता पर भी निर्धारित होती है। राजस्थान जैसे विविध सामाजिक संरचना वाले राज्य में मुस्लिम समुदाय के भीतर तीन तलाक कानून को लेकर अलग-अलग धारणाएँ पाई जा सकती हैं—कहीं इसे महिलाओं की सुरक्षा के रूप में सकारात्मक रूप से देखा जाता है, तो कहीं धार्मिक व्याख्याओं और पारंपरिक मान्यताओं के चलते मिश्रित प्रतिक्रियाएँ उभरती हैं।

इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अध्ययन राजस्थान के तीन प्रमुख जिलों—जोधपुर, जयपुर और सीकर—में मुस्लिम समुदाय के बीच तीन तलाक क़ानून से संबंधित जागरूकता और धारणा का विश्लेषण करता है। यह शोध न केवल समुदाय की वास्तविक सोच को समझने का प्रयास करता है, बल्कि यह भी जानने का प्रयास करता है कि शिक्षा, सामाजिक पृष्ठभूमि, धार्मिक दृष्टिकोण और कानूनी जानकारी किस प्रकार इस क़ानून के प्रति दृष्टिकोण को प्रभावित करती है।

शोध समस्या का विवरण

तीन तलाक या तलाक-ए-बिदअत लंबे समय तक मुस्लिम समुदाय में प्रचलित एक ऐसी वैवाहिक प्रथा रही है, जिसने महिलाओं के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया। एक बार में तीन बार "तलाक" कहने से विवाह का तत्काल समाप्त हो जाना न केवल परिवारों को अस्थिर करता था, बल्कि महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक कमजोरियों की ओर धकेल देता था। 2019 में लागू मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम ने इस प्रथा को आपराधिक घोषित कर महिलाओं के संरक्षण को सुदृढ़ किया। किंतु किसी भी कानून की वास्तविक प्रभावशीलता तभी सुनिश्चित होती है जब लक्षित समुदाय में उसकी पर्याप्त जानकारी, स्पष्ट समझ और व्यवहारिक स्वीकृति मौजूद हो।

राजस्थान जैसे राज्य में मुस्लिम समुदाय विविध सामाजिक-शैक्षिक पृष्ठभूमियों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में यह स्पष्ट नहीं है कि तीन तलाक कानून को लेकर जागरूकता कितनी है, लोग इसके प्रावधानों को किस हद तक समझते हैं, तथा धार्मिक मान्यताओं, शिक्षा स्तर और सामाजिक परिवेश के कारण धारणा में क्या अंतर उत्पन्न होता है। यह भी जानना आवश्यक है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी का स्तर कितना भिन्न है तथा कानून को महिलाओं की सुरक्षा के रूप में कितने लोग स्वीकार करते हैं और कितने लोग इसे धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप मानते हैं। इन सभी अनिश्चितताओं और विविधताओं ने इस शोध समस्या को जन्म दिया है।

मुख्य बिंदु

(क) राजस्थान में मुस्लिम समुदाय तीन तलाक कानून के बारे में कितना और कहाँ तक जागरूक है?

(ख) समुदाय के भीतर कानून के प्रति धारणा क्यों भिन्न है—शैक्षिक, धार्मिक या सामाजिक कारणों से?

(ग) पुरुषों और महिलाओं के बीच जागरूकता एवं समझ में कैसा अंतर दिखाई देता है?

(घ) कानून के दंडात्मक प्रावधानों, अधिकारों और सुरक्षा उपायों को लोग किस प्रकार व्याख्यायित कर रहे हैं?

(ङ) शहरी–ग्रामीण क्षेत्रों में तीन तलाक कानून की स्वीकृति, भ्रम और विरोध के स्तर में क्या अंतर है?

अध्ययन की आवश्यकता

तीन तलाक या तलाक-ए-बिदअत पर कानूनी प्रतिबंध केवल एक विधिक सुधार नहीं है, बल्कि यह मुस्लिम महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को पुनर्परिभाषित करने वाला परिवर्तन है। परंतु किसी भी कानून की प्रभावशीलता तभी सुनिश्चित होती है जब समुदाय के भीतर उसकी सही समझ, स्वीकार्यता और व्यवहारिक उपयोग मौजूद हों। वर्तमान परिदृश्य में यह स्पष्ट नहीं है कि राजस्थान के मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक क़ानून की जानकारी किस स्तर तक पहुँची है, किन प्रावधानों को लेकर भ्रम है और लोगों की वास्तविक धारणा किस दिशा में विकसित हो रही है। इसी अनिश्चितता को समझना इस अध्ययन को आवश्यक बनाता है।

राजस्थान के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और शैक्षिक असमानताएँ मौजूद हैं, जिसके कारण कानूनी जागरूकता का स्तर भी एकसमान नहीं हो सकता। कई स्थानों पर धार्मिक व्याख्याएँ, पारंपरिक सोच और सीमित कानूनी पहुँच लोगों की समझ को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में यह अध्ययन यह जानने में सहायक होगा कि समुदाय में जानकारी का प्रवाह कहाँ मजबूत है और कहाँ कमी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, यह शोध नीति-निर्माताओं, सामाजिक संगठनों, महिला अधिकार मंचों और कानूनी सहायता संस्थाओं को यह समझने में मदद देगा कि तीन तलाक कानून से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के लिए किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अध्ययन के निष्कर्ष समुदाय के भीतर संवाद, शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए ठोस दिशा प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार, यह शोध न केवल वैधानिक सुधारों के सामाजिक प्रभाव को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार संरक्षण और कानूनी सशक्तिकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान है।

साहित्य समीक्षा

भारत में तीन तलाक (तलाक–ए–बिदअत) पर होने वाला शोध सदैव मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति, वैवाहिक सुरक्षा और कानूनी अधिकारों के संदर्भ में अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है। यह विषय केवल भारतीय विमर्श तक सीमित नहीं, बल्कि विश्व भर में मुस्लिम पारिवारिक कानून और महिलाओं के अधिकारों पर चल रहे शोध का हिस्सा रहा है। दशकों से यह प्रश्न उठता रहा कि किसी भी धार्मिक या वैवाहिक प्रथा को न्यायसंगत तभी माना जा सकता है जब वह गरिमा, सुरक्षा और समानता के सिद्धांतों का पालन करे। इसी संदर्भ में विकसित साहित्य इस अध्ययन की बौद्धिक नींव प्रदान करता है।

भारत में तीन तलाक विषयक प्रारंभिक अध्ययनों में ज़ेबा अनवर (1994) का कार्य उल्लेखनीय है। उन्होंने 50 तलाक मामलों के विश्लेषण के आधार पर बताया कि तलाक-ए-बिदअत की अचानक प्रकृति महिलाओं पर गंभीर आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव छोड़ती है। अनवर का निष्कर्ष था कि अनेक स्थितियों में यह धार्मिक समझ नहीं, बल्कि पारिवारिक तनाव और शक्ति-संतुलन का दुरुपयोग था। इसी क्रम में रुखसार फ़ातिमा (2002) ने मुस्लिम महिलाओं की कानूनी जागरूकता का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। 120 प्रतिभागियों पर आधारित उनके अध्ययन में यह सामने आया कि अधिकांश महिलाएँ इद्दत, नफ़्क़ा, वैधानिक अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से नहीं जानती थीं।

फ़ातिमा ने यह स्थापित किया कि गलत धार्मिक व्याख्याएँ और सामाजिक दबाव महिलाओं में तीन तलाक को अनिवार्य धार्मिक आदेश के रूप में स्थापित कर देते हैं।

मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रकाश किरण देसाई समिति (2007) ने डाला। रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि शिक्षा की कमी, रोजगार अवसरों का अभाव और सामाजिक रूढ़ियाँ मुस्लिम महिलाओं की वैवाहिक सुरक्षा को कमजोर करती हैं, जिससे तलाक-ए-बिदअत जैसी प्रथाएँ और अधिक हानिकारक सिद्ध होती हैं। समिति ने कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों और महिला सशक्तिकरण के विस्तार की सिफारिश की। समरीन फ़ारूकी (2016) ने तीन तलाक के मनोवैज्ञानिक प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए दिखाया कि अचानक तलाक मिलने से महिलाएँ भावनात्मक आघात, अवसाद, सामाजिक अलगाव और आत्मविश्वास में गिरावट अनुभव करती हैं।

फ़ारूकी के अनुसार, शिक्षा का स्तर तलाक प्रक्रिया की समझ और उससे निपटने की क्षमता में निर्णायक भूमिका निभाता है। नए कानून—मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019—के प्रभावों पर किए गए समकालीन शोधों में निशा हबीब (2020) ने पाया कि कानून बनने के बाद महिलाओं में सुरक्षा की भावना बढ़ी है, किंतु

इसके तकनीकी प्रावधानों की जानकारी अभी भी सीमित है। तस्लीम अंसारी (2021) के तुलनात्मक अध्ययन में यह सामने आया कि पुरुष समुदाय दंडात्मक प्रावधानों को लेकर मिश्रित भावनाएँ रखता है, जबकि महिलाएँ इस कानून को अपने अधिकार संरक्षण के रूप में देखती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मुस्लिम पारिवारिक कानून और तलाक प्रणाली पर कई प्रमाणित शोध उपलब्ध हैं। नादिया सोनेवेल्ड की प्रसिद्ध पुस्तक "मिस्र में शरीयत और पारिवारिक न्याय" (हिंदी अनुवाद शीर्षक) ने मिस्र की अदालतों के वास्तविक मामलों के आधार पर यह सिद्ध किया कि एकतरफा और तुरंत प्रभाव वाला तलाक महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध जाता है और न्यायिक सुधार अनिवार्य हैं।

इसी तरह अंतरराष्ट्रीय विधि विशेषज्ञ अब्दुल्ला अन-नईम की पुस्तक "इस्लाम और मानवाधिकार" में यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया कि धार्मिक प्रथाएँ तब तक टिकाऊ नहीं हो सकतीं जब तक वे समानता और मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप न हों। संयुक्त राष्ट्र की सीडॉ (CEDAW) रिपोर्टों में तीन तलाक सहित एकतरफा तलाक प्रणालियों को महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। ट्यूनीशिया की 1956 पारिवारिक सुधार संहिता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल सुधार के रूप में मान्यता मिली है, जिसने तुरंत प्रभाव वाले तलाक को पूरी तरह समाप्त किया।

यू.एन. विमेन द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें यह स्पष्ट करती हैं कि इस प्रकार उपलब्ध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साहित्य यह सिद्ध करता है कि तीन तलाक केवल धार्मिक विधि का प्रश्न नहीं, बल्कि महिला अधिकारों, सामाजिक न्याय, समानता, कानूनी समझ और मानवाधिकार सिद्धांतों से गहराई से जुड़ा हुआ है। इन्हीं सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक एकतरफा तलाक महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और वैवाहिक स्थिरता के विरुद्ध जाता है, इसलिए विश्व भर के मुस्लिम-बहुल देशों ने ऐसे आयामों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि राजस्थान जैसे विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों वाले राज्य में मुस्लिम समुदाय की

शोध पद्धति

इस अध्ययन में मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक क़ानून के प्रति जागरूकता और धारणा को समझने के लिए वर्णनात्मक एवं सर्वेक्षण आधारित शोध पद्धति अपनाई गई। शोध का क्षेत्र राजस्थान के तीन जागरूकता तथा तीन तलाक कानून के प्रति उनकी धारणाओं का विस्तृत और संदर्भानुकूल अध्ययन किया जाए।तलाक को नियंत्रित या समाप्त किया है।तब तक टिकाऊ नहीं हो सकतीं जब तक वे समानता और मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप न हों। संयुक्त राष्ट्र की सीडॉ (CEDAW) रिपोर्टों में तीन तलाक सहित एकतरफा तलाक प्रणालियों को महिलाओं के आर्थिक व सामाजिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में स्पष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। ट्यूनीशिया की 1956 पारिवारिक सुधार संहिता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल सुधार के रूप में मान्यता मिली है, जिसने तुरंत प्रभाव वाले तलाक को पूरी तरह समाप्त किया। यू.एन. विमेन द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें यह स्पष्ट करती हैं कि एकतरफा तलाक महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और वैवाहिक स्थिरता के विरुद्ध जाता है, इसलिए विश्व भर के मुस्लिम-बहुल देशों ने ऐसे तलाक को नियंत्रित या समाप्त किया है। डेटा संग्रह के लिए संरचित प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जिसमें जनसांख्यिकीय विवरण, तीन तलाक कानून से संबंधित जागरूकता तथा कानून के प्रति धारणा से जुड़े प्रश्न शामिल थे।

डेटा संग्रह प्रक्रिया प्रत्यक्ष संवाद तथा ऑनलाइन गूगल फार्म दोनों माध्यमों से पूर्ण की गई, और सभी प्रतिभागियों की सहमति एवं गोपनीयता को सुनिश्चित किया गया। संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण आवृत्ति, प्रतिशत, औसत तथा मानक विचलन जैसी सांख्यिकीय तकनीकों द्वारा किया गया, जिससे विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक और राजनीतिक पृष्ठभूमियों में जागरूकता एवं धारणा के अंतर को समझा जा सका। प्रतिक्रियाओं का उपयोग केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया गया। हालांकि अध्ययन में केवल तीन जिलों और सुविधा-नमूना विधि का उपयोग किए जाने के कारण इसके परिणाम पूरे राज्य पर पूर्ण रूप से लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी यह अध्ययन समुदाय की समझ, सूचना प्रसार और कानूनी जागरूकता के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

चयनित जिलों—जोधपुर, जयपुर और सीकर—पर केंद्रित था, जहाँ विभिन्न सामाजिक एवं शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले कुल 282 उत्तरदाताओं (जोधपुर 68, जयपुर 114 और सीकर 100) से जानकारी एकत्र की गई। नमूना चयन हेतु सुविधा-नमूना एवं उद्देश्यपूर्ण नमूना तकनीक का संयोजन किया गया ताकि केवल मुस्लिम समुदाय के ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जा सके जिन्हें तीन तलाक क़ानून के बारे में प्रत्यक्ष या परोक्ष जानकारी हो।

प्रश्नावली से प्राप्त आँकड़ों का विश्लेषण (282 प्रतिभागियों पर आधारित)

क्रमांक	विवरण	संख्या
1	कुल उत्तरदाता	282
2	पुरुष	87
3	महिलाएं	196
4	मुस्लिम उत्तरदाता	266
5	हिन्दू उत्तरदाता	17
6	अन्य धर्म के उत्तरदाता	0
7	जोधपुर	68
8	जयपुर	114
9	सीकर	100

विश्लेषण: प्रस्तुत तालिका अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं की जनसांख्यिकीय संरचना को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। कुल 282 उत्तरदाताओं में से 87 पुरुष और 196 महिलाएँ हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि अध्ययन में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक रही। यह अनुपात यह भी दर्शाता है कि तीन तलाक जैसे संवेदनशील विषय पर महिलाएँ अपनी राय देने में अधिक रुचि रखती हैं, क्योंकि यह कानून सीधे उनके सामाजिक और वैवाहिक जीवन से संबंधित है। धर्म के आधार पर देखें तो 266 उत्तरदाता मुस्लिम समुदाय से हैं, जो अध्ययन के मुख्य विषय के अनुरूप है। 17 हिन्दू और अन्य धर्म के कोई उत्तरदाता न होना यह दर्शाता है कि शोध का फोकस मुस्लिम समुदाय की वास्तविक धारणा को समझने पर केंद्रित है। जिला-वार वितरण में जयपुर से 114, सीकर से 100 और जोधपुर से 68 उत्तरदाता शामिल हुए, जो तीनों क्षेत्रों की संतुलित भागीदारी को दर्शाता है। यह विविध भौगोलिक प्रतिनिधित्व अध्ययन के निष्कर्षों को अधिक विश्वसनीय और व्यापक बनाता है। जिला-वार कुल उत्तरदाताओं के ग्राफ़ से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में कुल 282 प्रतिभागी शामिल थे। इनमें जयपुर के 114, सीकर के 100, और जोधपुर के 68 उत्तरदाता थे। यह वितरण दिखाता है कि तीनों जिलों से पर्याप्त भागीदारी मिली और सर्वेक्षण पूरे क्षेत्र का सही प्रतिनिधित्व करता है। ग्राफ़ के आधार पर यह समझ आता है कि सबसे अधिक उत्तरदाता जयपुर से थे, जबकि जोधपुर से अपेक्षाकृत कम सहभागिता मिली।

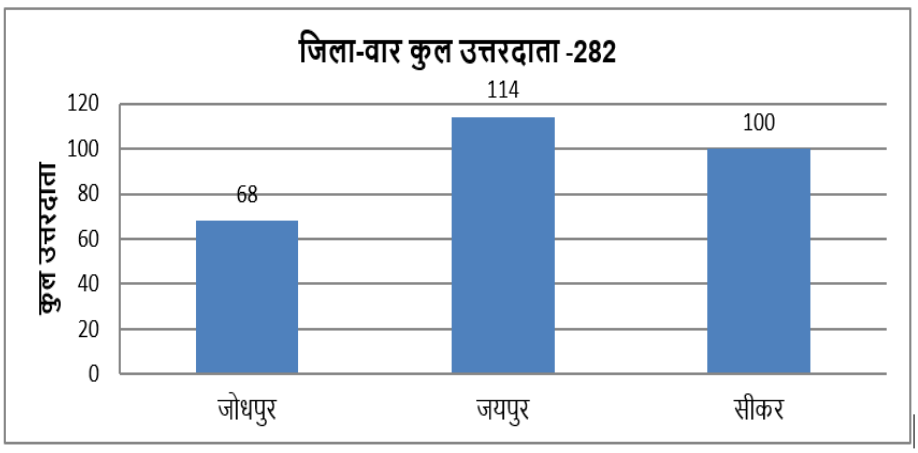

प्रश्नावली

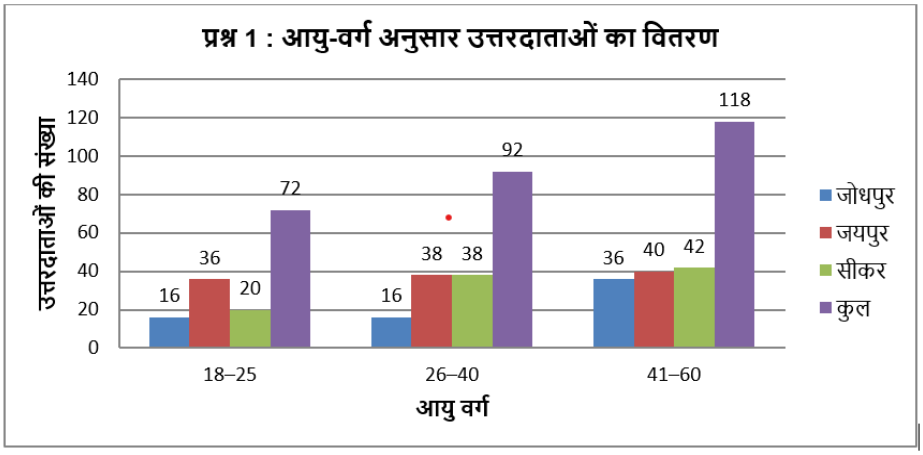

यह चार्ट राजस्थान के तीन जिलों—जोधपुर, जयपुर और सीकर—में तीन तलाक क़ानून से संबंधित अध्ययन के उत्तरदाताओं का आयु-वर्ग अनुसार वितरण दर्शाता है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि 41–60 वर्ष आयु-वर्ग में सर्वाधिक 118 उत्तरदाता शामिल हुए, जो यह संकेत देता है कि वरिष्ठ वर्ग इस मुद्दे में अधिक रुचि और जागरूकता रखता है। 26–40 वर्ष आयु-वर्ग में कुल 92 उत्तरदाता पाए गए, जो कानूनी और सामाजिक परिवर्तनों से सीधे प्रभावित होने के कारण महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वहीं 18–25 वर्ष के 72 उत्तरदाता अपेक्षाकृत कम हैं, जिससे पता चलता है कि युवा वर्ग की भागीदारी सीमित है। तीनों आयु-वर्गों में जयपुर और सीकर की सहभागिता अधिक दिखाई देती है, जबकि जोधपुर में अपेक्षाकृत कम। समग्र रूप से यह वितरण दर्शाता है कि तीन तलाक कानून पर धारणा अधिकतर मध्य और वरिष्ठ आयु-वर्ग के अनुभवों पर आधारित है, जो अध्ययन को गहराई और सामाजिक यथार्थ प्रदान करता है।

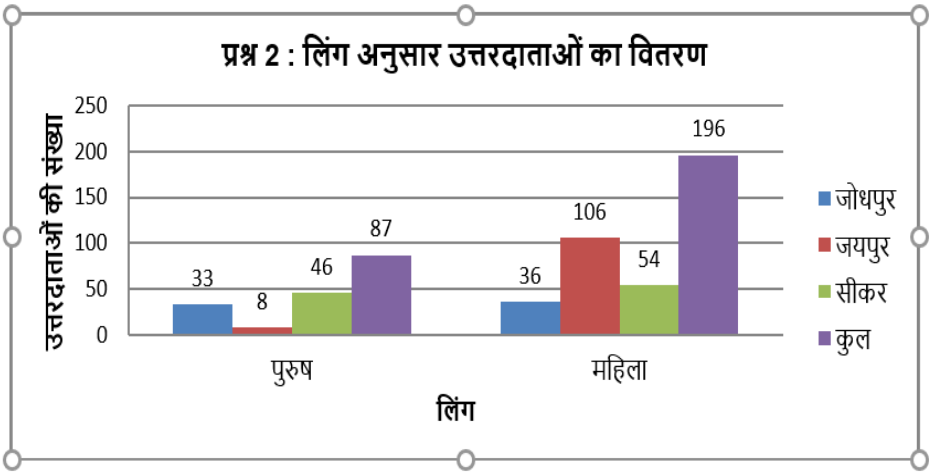

अध्ययन में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में काफी अधिक रही। कुल 196 महिला उत्तरदाताओं की उपस्थिति यह दर्शाती है कि तीन तलाक क़ानून, जो सीधे महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा से जुड़ा है, उनके लिए अत्यंत प्रासंगिक विषय है। पुरुष उत्तरदाताओं की संख्या 87 रही, जो अपेक्षाकृत कम है, परंतु यह भी दर्शाता है कि समुदाय में पुरुष वर्ग भी इस मुद्दे पर अपनी धारणा साझा करने में रुचि रखता है। जोधपुर और सीकर में पुरुषों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है, जबकि जयपुर में महिलाओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता की है। समग्र रूप से यह लिंग-वितरण संकेत देता है कि तीन तलाक क़ानून के प्रभाव को समझने में महिला दृष्टिकोण प्रमुख भूमिका निभाता है, जिससे अध्ययन के निष्कर्ष अधिक सामाजिक और वास्तविकता-आधारित बनते हैं।

प्रश्न 3 : शैक्षणिक योग्यता अनुसार उत्तरदाताओं का वितरण (कुल उत्तरदाता)

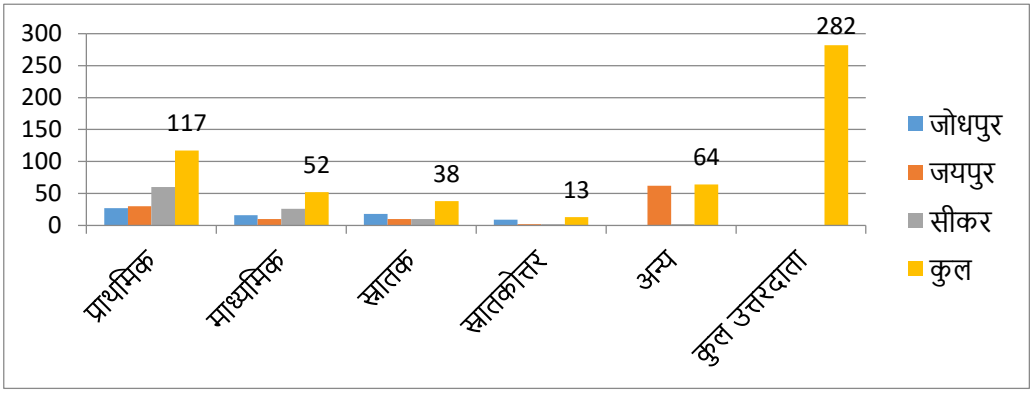

यह वितरण बताता है कि तीन तलाक क़ानून पर धारणा निर्माण में विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमियों के लोग किस प्रकार शामिल हुए हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त उत्तरदाताओं की संख्या सबसे अधिक दिखाई देती है, जो इस मुद्दे के प्रति आधार-स्तर के समुदायों की सक्रिय रुचि का संकेत देती है। माध्यमिक और स्नातक स्तर वाले प्रतिभागियों की भागीदारी क्रमशः कम होती हुई नजर आती है, जिससे समझा जा सकता है कि औपचारिक शिक्षा बढ़ने के साथ इस विषय पर सर्वेक्षण में शामिल होने की प्रवृत्ति कुछ कम हो जाती है। स्नातकोत्तर समूह की संख्या बहुत सीमित है, जो उनकी न्यूनतम सहभागिता को दर्शाता है। अन्य श्रेणी में सम्मिलित उत्तरदाता सामाजिक विविधता को दर्शाते हैं, जहाँ वैकल्पिक शिक्षण पृष्ठभूमि वाले लोग भी अपनी राय प्रस्तुत कर रहे हैं। समग्र रूप से यह वितरण बताता है कि यह अध्ययन अलग-अलग शैक्षणिक स्तरों की सोच और समझ को समेटते हुए समुदाय की व्यापक मानसिकता को प्रतिबिंबित करता है।

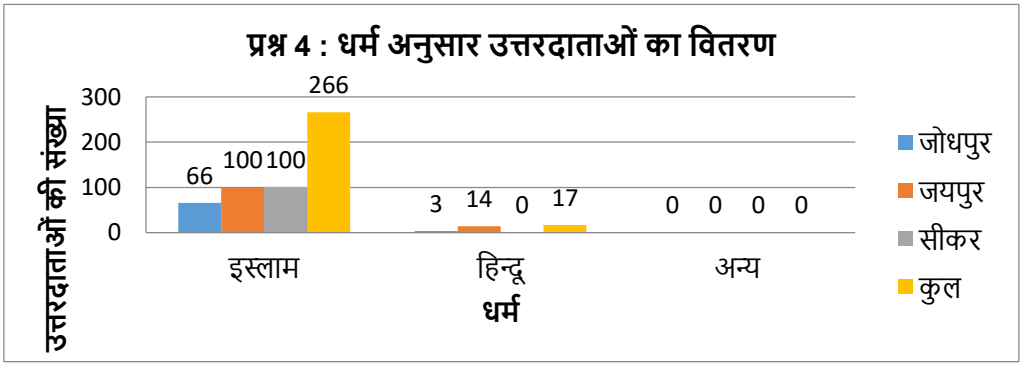

यह धर्म-आधारित वितरण तीन तलाक क़ानून पर धारणा अध्ययन की सामाजिक संरचना को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। इस सर्वेक्षण में अधिकांश प्रतिभागी इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं, जिनकी कुल संख्या 266 है। यह अनुपात स्वाभाविक रूप से दर्शाता है कि अध्ययन का मुख्य केंद्र मुस्लिम समुदाय है, क्योंकि तीन तलाक का मुद्दा सीधे इसी समूह के वैवाहिक और सामाजिक जीवन से संबंधित है। हिन्दू समुदाय से केवल 17 प्रतिभागियों की उपस्थिति दिखाई देती है, जिससे समझा जा सकता है कि उन्होंने मुख्यतः बाहरी पर्यवेक्षक के रूप में अपनी राय प्रस्तुत की है। "अन्य" श्रेणी में किसी उत्तरदाता का सम्मिलित न होना दर्शाता है कि अध्ययन विशेष रूप से उन समुदायों पर केंद्रित रहा, जिनका इस कानून से सीधा संबंध है। समग्र रूप से यह वितरण बताता है कि डेटा संरचना उसी सामाजिक समूह पर आधारित है, जहाँ यह कानून अपनी सबसे अधिक संवेदनशीलता और प्रासंगिकता रखता है, जिससे शोध के निष्कर्ष अधिक वास्तविक और संदर्भानुकूल बनते हैं।

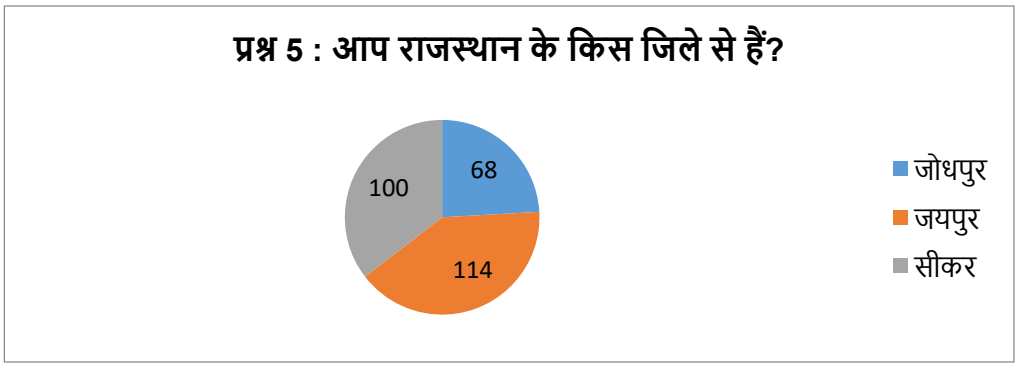

यह पाई चार्ट अध्ययन में शामिल तीन प्रमुख जिलों—जोधपुर, जयपुर और सीकर—की सहभागिता को दर्शाता है। सबसे अधिक उत्तरदाता जयपुर (114) से प्राप्त हुए, जिससे यह संकेत मिलता है कि राज्य की राजधानी होने के कारण यहाँ सामाजिक व कानूनी जागरूकता अपेक्षाकृत अधिक है और लोग तीन तलाक क़ानून जैसे विषयों पर अपनी राय साझा करने में अधिक रुचि रखते हैं। सीकर (100) से भी पर्याप्त संख्या में प्रतिभागी जुड़े, जो बताता है कि अर्ध-शहरी और ग्रामीण मिश्रित क्षेत्रों में भी इस मुद्दे पर जागरूकता और संवाद मौजूद है। जोधपुर (68) की तुलना में सहभागिता कम दिखती है, जो संभवतः जनसांख्यिकीय विविधता, पहुंच या उपलब्ध उत्तरदाताओं की संख्या पर निर्भर हो सकती है। समग्र रूप से यह वितरण दर्शाता है कि अध्ययन तीन अलग-अलग सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों वाले जिलों पर आधारित है, जिससे निष्कर्ष अधिक संतुलित और प्रतिनिधि बनते हैं।

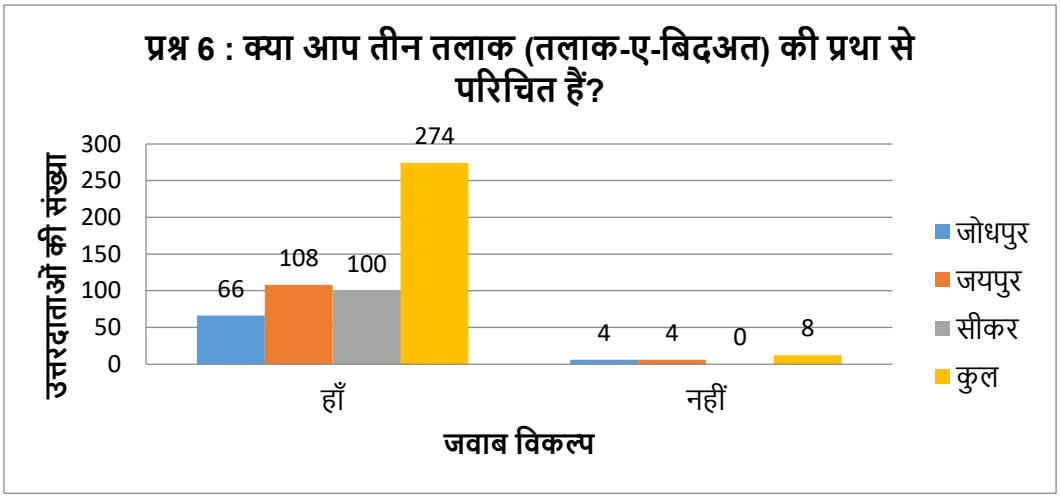

चार्ट तीन तलाक कानून के प्रति जागरूकता को अधिक संतुलित रूप में प्रस्तुत करता है और कुल उत्तरदाता (282) के अनुरूप है। "हाँ" कहने वाले उत्तरदाताओं की संख्या 274 है, जो यह संकेत देती है कि समुदाय के अधिकांश लोग इस कानून से भली-भाँति परिचित हैं। जयपुर और सीकर में यह जागरूकता विशेष रूप से मजबूत दिखाई देती है, जबकि जोधपुर में भी पर्याप्त संख्या में लोगों ने जानकारी होने की बात स्वीकार की है। दूसरी ओर, "नहीं" कहने वालों की संख्या केवल 8 है, जिसमें जोधपुर और जयपुर से 4–4 उत्तरदाता शामिल हैं, तक पहुँच बनाकर इस कानून को व्यापक रूप से चर्चित विषय बना दिया है। संपूर्ण रूप से यह वितरण यह इशारा करता है कि तीन तलाक जबकि सीकर से कोई भी अनभिज्ञ उत्तरदाता नहीं पाया गया। यह स्थिति दर्शाती है कि सूचना के प्रसार और मीडिया कवरेज ने समुदाय कानून के संबंध में जागरूकता लगभग सार्वभौमिक स्तर तक पहुँची हुई है, और बहुत कम लोग ही इस विषय से अनभिज्ञ रह गए हैं, जिससे अध्ययन के निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय और समुदाय-प्रतिनिधि बनते हैं।

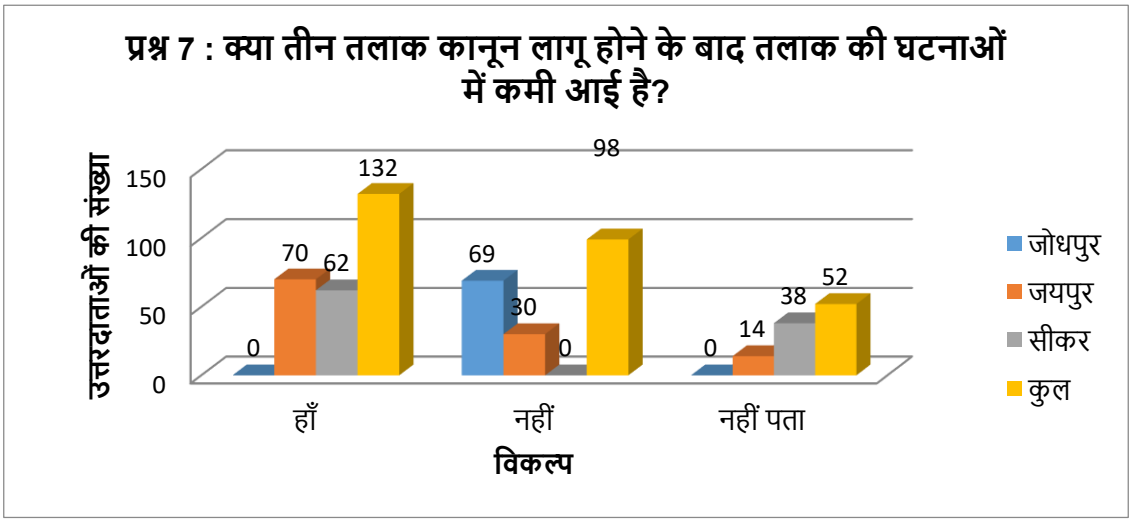

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाएँ दर्शाती हैं कि समुदाय का एक बड़ा हिस्सा तीन तलाक कानून को प्रभावी मानता है। "हाँ" कहना वाले 132 उत्तरदाता यह संकेत देते हैं कि उनके अनुभव में एकतरफा तलाक की घटनाओं में वास्तविक कमी आई है। जयपुर और सीकर में यह धारणा विशेष रूप से मजबूत दिखाई देती है, जबकि जोधपुर में इस विकल्प को किसी ने नहीं चुना, जो क्षेत्रीय अनुभवों में अंतर को दर्शाता है। इसके विपरीत, 98 उत्तरदाताओं ने माना कि कोई विशेष कमी नहीं आई, जिसमें जोधपुर का योगदान सबसे अधिक है। यह वर्ग संभवतः कानून की व्यावहारिक क्रियान्वयन प्रक्रिया या समुदाय-स्तर पर इसके प्रभाव को लेकर संदेह रखता है। "नहीं पता" वाले 52 उत्तरदाता बताते हैं कि कुछ लोग अभी भी कानून के वास्तविक प्रभाव से अनभिज्ञ हैं। समग्र रूप से यह वितरण बताता है कि कानून को लेकर सकारात्मक धारणा प्रबल है, परंतु अनुभवों में क्षेत्रीय विविधता भी मौजूद है।

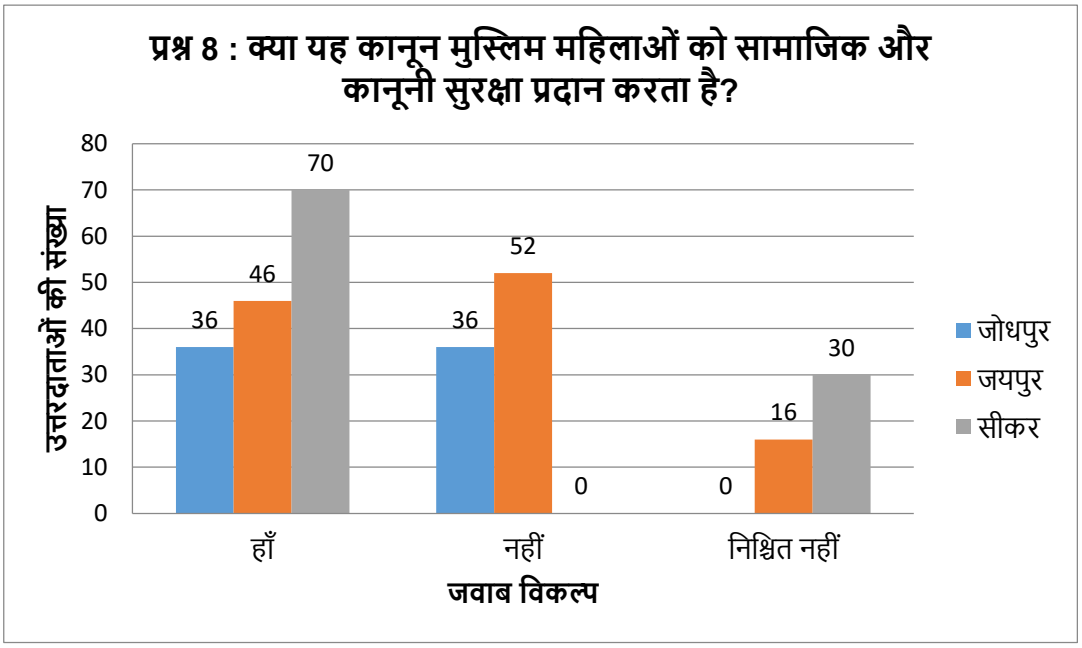

उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाएँ दर्शाती हैं कि तीन तलाक कानून को मुस्लिम महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यापक समर्थन प्राप्त है। सबसे अधिक उत्तरदाता "हाँ" विकल्प के पक्ष में दिखाई देते हैं—विशेषकर सीकर (70) और जयपुर (46) जिले से, जबकि जोधपुर से भी 36 उत्तरदाताओं ने इसे महिलाओं के लिए सामाजिक और कानूनी सुरक्षा का साधन माना। यह इंगित करता है कि कानून ने महिलाओं के अधिकारों और वैवाहिक सुरक्षा के संबंध में जागरूकता बढ़ाई है। वहीं "नहीं" कहने वाले उत्तरदाता (जोधपुर 36, जयपुर 52) यह संकेत देते हैं कि सभी समुदायों में कानून के प्रभाव को लेकर एकसमान विश्वास नहीं है। कुछ लोग संभवतः इसके लागू होने की प्रक्रिया, दंडात्मक स्वरूप या सामाजिक-धार्मिक संदर्भों को लेकर संदेह व्यक्त करते हैं। "निश्चित नहीं" वाले उत्तरदाताओं का अनुपात अपेक्षाकृत कम है, लेकिन यह समूह दर्शाता है कि कुछ लोगों के लिए कानून की वास्तविक उपयोगिता और प्रभाव अभी भी अस्पष्ट है। समग्र रूप से, सकारात्मक मत अधिक है, जिससे पता चलता है कि महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में यह कानून समुदाय में व्यापक स्वीकृति प्राप्त कर रहा है। इस प्रश्न के उत्तर बताते हैं कि तीन तलाक पर कानून बनाने से पहले समुदाय की राय लेने की आवश्यकता को लेकर उत्तरदाताओं में प्रबल सहमति पाई जाती है। "हाँ" विकल्प को सर्वाधिक समर्थन प्राप्त हुआ, जहाँ कुल 227 उत्तरदाताओं—विशेषकर जयपुर (70) और सीकर (88) के प्रतिभागियों—ने माना कि कानून बनाने से पूर्व समुदाय की सहभागिता और संवाद आवश्यक थे। यह प्रवृत्ति समुदाय के भीतर भागीदारीपूर्ण निर्णय-निर्माण की अपेक्षा को दर्शाती है। इसके विपरीत, "नहीं" विकल्प को केवल 28 उत्तरदाताओं का समर्थन मिला, जिनमें मुख्य योगदान जयपुर का है। यह समूह संभवतः मानता है कि सरकार द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक था और समुदाय-स्तर पर विचार-विमर्श से प्रक्रिया जटिल हो सकती थी। "निश्चित नहीं" कहने वाले 28 उत्तरदाता यह संकेत देते हैं कि सभी प्रतिभागी इस विषय पर प्रक्रियात्मक पहलुओं को स्पष्ट रूप से नहीं समझते।

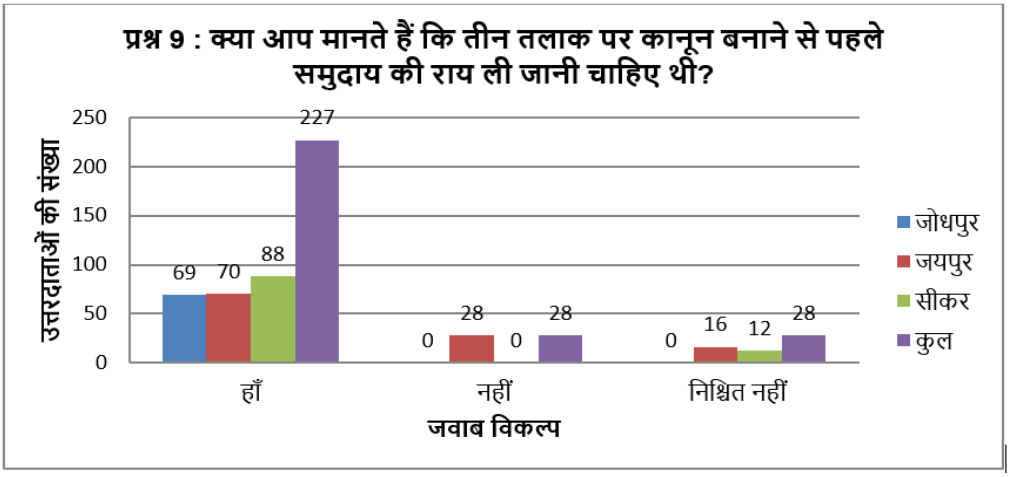

समग्र रूप से, यह प्रश्न दर्शाता है कि समुदाय व्यापक रूप से परामर्श-आधारित कानून निर्माण को अधिक उपयुक्त मानता है। तीन तलाक कानून को इस्लामिक शरीयत के अनुरूप या विरुद्ध मानने के प्रश्न पर उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाएँ समुदाय के भीतर विद्यमान वैचारिक बहस को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करती हैं। "हाँ" विकल्प चुनने वाले 107 उत्तरदाता, विशेष रूप से जोधपुर के प्रतिभागी, यह मानते हैं कि यह कानून पारंपरिक शरीयत सिद्धांतों के मानदंडों से भिन्न दिशा में जाता है। इस दृष्टिकोण के पीछे धार्मिक परंपराओं, फिक्ह की व्याख्याओं तथा व्यक्तिगत आस्था की भूमिका प्रमुख प्रतीत होती है।

इसके विपरीत, 104 उत्तरदाताओं का मत है कि यह कानून किसी भी प्रकार से शरीयत के विरुद्ध नहीं है। यह समूह इसे महिला सुरक्षा, मानवाधिकार और न्यायसंगत प्रक्रिया की आधुनिक व्याख्या के अनुरूप एक आवश्यक सुधार के रूप में देखता है।"निश्चित नहीं" कहने वाले 78 उत्तरदाता यह दर्शाते हैं कि समुदाय का एक हिस्सा अभी भी धार्मिक व्याख्या और कानूनी प्रावधानों के बीच के संबंध को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। समग्र रूप से यह प्रश्न बताता है कि समुदाय में धार्मिक दृष्टिकोण एकरूप नहीं हैं, बल्कि विविध और बहुस्तरीय हैं

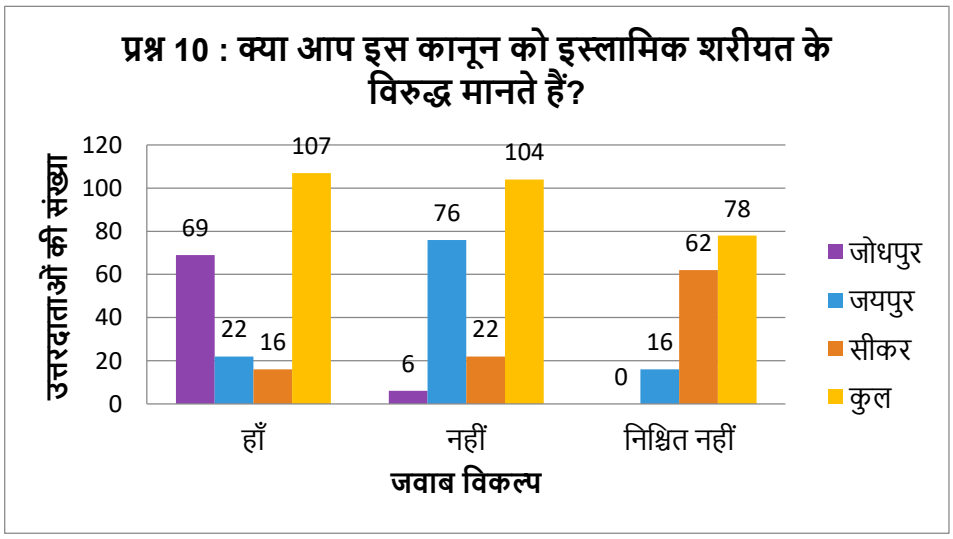

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन राजस्थान के जयपुर, जोधपुर एवं सीकर जिलों में चयनित 282 उत्तरदाताओं पर आधारित है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) कानून के प्रति जागरूकता का स्तर पहले की तुलना में बढ़ा है। अधिकांश उत्तरदाताओं को इस कानून के अस्तित्व और इसके महिला अधिकारों से संबंधित उद्देश्य की सामान्य जानकारी प्राप्त है। विशेष रूप से जयपुर जैसे शहरी क्षेत्र में जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक पाया गया, जबकि जोधपुर और सीकर में पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं के कारण मिश्रित प्रतिक्रियाएँ देखने को मिलीं। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि तीन तलाक कानून को लेकर समुदाय की धारणा एकरूप नहीं है। जहाँ एक ओर इसे महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है, वहीं दूसरी ओर कुछ उत्तरदाताओं द्वारा इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप के

रूप में भी देखा गया है। इसके अतिरिक्त, यह तथ्य भी सामने आया कि कानून के व्यावहारिक प्रावधानों, कानूनी प्रक्रियाओं तथा सहायता तंत्र के बारे में जानकारी अभी भी सीमित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जागरूकता और वास्तविक क्रियान्वयन के बीच एक अंतर विद्यमान है|

सुझाव

1 मुस्लिम समुदाय में तीन तलाक कानून से संबंधित विधिक जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक सुदृढ़ किया जाना चाहिए, विशेषकर ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में।

2 महिलाओं के लिए कानूनी सहायता केंद्रों और परामर्श सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि वे अपने अधिकारों का प्रभावी रूप से उपयोग कर सकें।

3 समुदाय के धार्मिक एवं सामाजिक नेतृत्व को साथ लेकर संवादात्मक पहल की जानी चाहिए, जिससे कानून के प्रति फैली भ्रांतियों को दूर किया जा सके।

4 शैक्षिक संस्थानों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से लैंगिक समानता और महिला अधिकारों पर आधारित जागरूकता अभियानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

5 भविष्य के अध्ययनों में अधिक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र और विविध सामाजिक-आर्थिक वर्गों को शामिल कर इस विषय पर गहन शोध किया जा सकता है।

संदर्भ सूची

1. एग्रेस, फ्लाविया. कानून और लैंगिक असमानता: भारत में महिलाओं के अधिकारों की राजनीति. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999।
2. अन-नईम, अब्दुल्ला अहमद. इस्लाम और मानवाधिकार: परंपरा और राजनीति. ऐशगेट पब्लिकेशन, 2000|
3. हसन, ज़ोया, तथा रितु मेनन. असमान नागरिक: भारत में मुस्लिम महिलाओं का अध्ययन. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2004।
4. शाह बानो बनाम मोहम्मद अहमद ख़ान. भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 1985, AIR 1985 SC 945
5. डेनियल लतीफ़ी बनाम भारत संघ." भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 2001, AIR 2001 SC 3958।
6. "शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य." भारत का सर्वोच्च न्यायालय, 2002, 7 SCC 518।
7. भारत सरकार. सचर समिति रिपोर्ट: भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति. प्रधानमंत्री उच्च स्तरीय समिति, 2006।
8. सोनेवेल्ड, नादिया. मिस्र में शरीयत, न्याय और परिवार व्यवस्था (मूल पुस्तक: Gender, Justice and the Courts in Egypt). सीराक्यूज़ यूनिवर्सिटी प्रेस, 2012।
9. संयुक्त राष्ट्र. महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव उन्मूलन संबंधी सम्मेलन (सीडॉ) – सामान्य सिफारिशें. संयुक्त राष्ट्र प्रकाशन, 2010।
10. यू.एन. विमेन. विश्व की महिलाओं की प्रगति: बदलते परिवार और लैंगिक न्याय. संयुक्त राष्ट्र महिला इकाई, 2019।
11. भारत सरकार. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019. विधि और न्याय मंत्रालय, 2019।
12. मुखोपाध्याय, नीलंजन. "तीन तलाक और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों पर बहस." इकनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 53, संख्या 28, 2018, पृ. 12–15।
13. मुजीब, हलीमा. "तीन तलाक और लैंगिक न्याय का प्रश्न." इंडियन जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज़, खंड 24, संख्या 3, 2017, पृ. 367–382।